उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 179/2023–24 दिनांक : 27.10.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र,
सुन्दर नगर ठेरा, विनीठेरा, खटीमा। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा। विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र की यह शिकायत दिनांक 11.10.2023 को कार्यालय, विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH2T564611006 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल बहुत अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत मीटर की जांच कराकर विद्युत बिल (रू0 14512.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने दिनांक 27.10.2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर इस मंच को अवगत कराया कि परिवादिनी के संयोजन का खराब मीटर दिनांक 31.08.2020 को बदला गया था। दिनांक 26.09.2023 को परिवादिनी के मीटर में 4926 रीडिंग अंकित पाई गई है। उक्त खपत को मीटर स्थापित होने की तिथि से 26.09.2023 तक की अवधि में प्रो–रेटा के आधार पर बराबर बांटते हुए तत्कालीन प्रचलित टैरिफ दरों के अनुसार परिवादिनी का बिल संशोधित कर

क्रमशः 2.....

रू0 12551.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

27/10/2023   27/10/2023

(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य

(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य